जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./16/डी–740 दिनांकः– 02-11-16

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **128वीं बैठक दिनांकः 28.10.16 को प्रातः 11.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		128:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 127वीं बैठक दिनांक 20.09.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 113वीं से 127वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 127वीं बैठक दिनांक 20.09.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक सख्या 113 से 127 का पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा शेष प्रकरणों की अविलम्ब अनुपालना करने हेतु उपायुक्तों को निर्देश दिए गए।
2.	1	128:2	राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को कार्यालय भवन हेतु झालाना संस्थानिक क्षेत्र में भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–1 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को कार्यालय भवन हेतु झालाना संस्थानिक क्षेत्र में राजस्थान इन्टरनेशनल कन्वेंशन योजना का भूखण्ड संख्या पार्ट बी–1 क्षेत्रफल 2684.19 व.मी. आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.09.16 में संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की सहमति दी है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर बोर्ड को झालाना संस्थानिक क्षेत्र की राजस्थान इन्टरनेशनल कन्वेंशन योजना का भूखण्ड संख्या पार्ट बी–1 क्षेत्रफल 2684.19 व.मी. भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	2	128:3	सरपंच, ग्राम पंचायत अखैपुरा पं.स. आमेर (जयपुर) को ग्राम पंचायत भवन व अटल सेवा केन्द्र हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–2 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत अखैपुरा पं.स. आमेर (जयपुर) को ग्राम पंचायत भवन हेतु खसरा नं. 403 रकबा 0.68 हैक्टेयर (6800 व.मी.) किस्म चरागाह व अटल सेवा केन्द्र के लिए खसरा नं. 404 रकबा 0.51 है. (5100 वर्गमीटर) किस्म चरागाह भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम पंचायत, अखैपुरा को ग्राम अखैपुरा के खसरा नं. 403 में से रास्ते के सहारे 1000 वर्गमीटर भूमि ग्राम पंचायत भवन हेतु व 250 वर्गमीटर भूमि अटल सेवा केन्द्र हेतु कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। शेष भूमि की प्लानिंग भी कराई जावे।
4.	9	128:4	श्री ललित गुगलानी, निदेशक एवं प्रमुख, सीपेट, जयपुर को सीपेट हाई लर्निंग सेन्टर की स्थापना हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा श्री ललित गुगलानी, निदेशक एवं प्रमुख, सीपेट, जयपुर को सीपेट हाई लर्निंग सेन्टर की स्थापना हेतु जविप्रा की योजना रामचन्द्रपुरा के भूखण्ड संख्या 16 से 23 क्षेत्रफल 20035.31 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सीपेट रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा रसायन व पेट्रो रसायन विभाग, भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर सीपेट को जविप्रा की योजना रामचन्द्रपुरा के भूखण्ड संख्या 16 से 23 क्षेत्रफल 20035.31 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की

				अभिशंषा के साथ राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–3(268)नविवि/3/2011 दिनांक 03.07.12 के अनुसार केन्द्र सरकार के संगठनों को आवंटित की जाने वाली भूमि की दरों के निर्धारण हेतु प्रकरण संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दर निर्धारण हेतु मय चैक लिस्ट प्रस्ताव भिजवाने का निर्णय लिया गया।
5.	9	128:5	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, गोनेर हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, गोनेर हेतु ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2921 कुल रकबा 0.94 हैक्टेयर में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, गोनेर हेतु ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2921 में से 2000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा निःशुल्क आवंटन चाहा गया है। अतः प्रकरण में निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को लिखा जावे।
6.	9	128:6	श्रीमती मोहिनी देवी पत्नि स्व. श्री हीरालाल योगी उर्फ बाबूलाल को भूखण्ड संख्या बी–496 योजना रामनगरिया विस्तार क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर पर अतिक्रमण के बदले पुनर्वास में अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत।	श्रीमती मोहिनी देवी पत्नि स्व. श्री हीरालाल योगी उर्फ बाबूलाल को भूखण्ड संख्या बी–496 योजना रामनगरिया विस्तार क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। किन्तु उक्त भूखण्ड पर अतिक्रमण होने के कारण आवंटन पत्र व कब्जा पत्र जारी नहीं किया जा सका। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड रामनगरिया विस्तार योजना में ही रिक्त भूखण्ड संख्या बी–556, बी–557 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड का विनिमय करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या बी–496 के स्थान पर समान माप व समान चौडाई की सडक पर स्थित रिक्त नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या बी–556 व बी–557 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
7.	11	128:7	प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खटवाडा, सांगानेर, जयपुर को सेज पुनर्वास योजना ग्राम खटवाडा में भूमि आवंटन एवं पट्टा जारी करने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खटवाडा, सांगानेर, जयपुर को सेज पुनर्वास योजना ग्राम खटवाडा में 9974.22 वर्गमीटर भूमि आवंटन की जाकर पट्टा जारी करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त के अनुसार विद्यालय को पूर्व में आवंटित भूमि सेज पुनर्वास योजना के काम में ली गई है। जिसकी एवज में सेज पुनर्वास योजना के खसरा नं. 927, 918, 926, 917, 919, 909 में आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 25.03.08 के अनुसार जविप्रा द्वारा भवन निर्माण किया गया। इस भूमि के आवंटन व पट्टे हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। विद्यालय की 8100 वर्गमीटर भूमि सेज पुनर्वास योजना हेतु ली गई थी। चूंकि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खटवाडा हेतु 8100 वर्गमीटर आवंटन की जाकर निर्माण हो चुका है। अतः प्रकरण में समिति द्वारा 8100 वर्गमीटर भूमि आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने व 1874.22 वर्गमीटर भूमि पुनः जविप्रा के कब्जे में लिये जाने का निर्णय लिया गया।
8.	11	128:8	मैसर्स एस.एफ.एग्रो फार्मस प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री अनिल माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा	मैसर्स एस.एफ.एग्रो फार्मस प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्री अनिल माहेश्वरी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा में आवासीय भूखण्ड संख्या 116 क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार

(एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			में आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 116 के बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में।	उक्त भूखण्ड में 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। एलपीसी की बैठक दिनांक 11.09.15 में प्रकरण में आवंटित भूखण्ड के समान माप का अन्य भूखण्ड तलाश किये जाने व भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने पर प्रकरण पुनः एलपीसी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त द्वारा पुनः एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि समान माप का समान चौड़ाई की सड़क पर कोई भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में विनिमय हेतु वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। नगरीय विकास विभाग के आदेश प. 3(543)नविवि /3/2009 दिनांक 13.10.11 में आवंटन के समय बताये गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल बढ़ जाने व उसका स्वतंत्र उपयोग संभव न होने पर, बढे हुये क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड न मानते हुये उक्त हिस्सा भूखण्ड का ही अविभाज्य हिस्सा माना है व अधिक क्षेत्रफल को वर्तमान आरक्षित दर पर आवंटित किया जाना उचित माना है। समिति की 121वीं बैठक में इसी के अनुसार निर्णय किए गए है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त बढे हुए क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लेण्ड न मानकर भूखण्ड का अविभाज्य हिस्सा माना जाकर बढा हुआ क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
9.	11	128:9	निजी खातेदार मैसर्स एस्मा कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड की निजी खातेदारी आवासीय योजना राजस्व ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के सुविधा क्षेत्र 1 व 2 को आवंटन करने बाबत।	निजी खातेदार मैसर्स एस्मा कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा उनकी निजी खातेदारी आवासीय योजना राजस्व ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र 1 क्षेत्रफल 6275.68 वर्गगज को सामुदायिक विकास केन्द्र हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। योजना की आवासीय आरक्षित दर 10000/- प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। उपायुक्त द्वारा उक्तानुसार आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तावित भूखण्ड के आगे सामुदायिक केन्द्र हेतु जविप्रा के कार्यालय आदेश क्रमांक बीपीसी(एलपी)/218 दिनांक 09.10.14 के अन्तर्गत आवश्यक निर्धारित सडक की न्यूनतम चौडाई 60 फीट उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण में सामुदायिक केन्द्र हेतु आवंटन किया जाना संभव नहीं होने से अस्वीकार किया गया। निजी खातेदार मैसर्स एस्मा कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा उनकी निजी खातेदारी आवासीय योजना राजस्व ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र 2 क्षेत्रफल 2366.75 वर्गगज को योगा केन्द्र/जिमनेशियम हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। योजना की आवासीय आरक्षित दर 10000/- प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। उपायुक्त द्वारा उक्तानुसार आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 में योग केन्द्र/जिमनेशियम हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान वर्णित नहीं है। इस संबंध में Other Public uses में किस-किस सार्वजनिक उपयोग को माना जावे, के संबंध में एलपीसी की 120वीं बैठक दिनांक 27.10.15 में निर्णय लिया जाकर राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया था। जो प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मार्गदर्शन प्राप्त होने तक प्रकरण को स्थगित किया गया।
10.	13	128:10	श्री ज्ञान चन्द मक्कड को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए-2/498 के	एलपीसी की बैठक दिनांक 10.08.16 में श्री ज्ञान चन्द मक्कड को ट्रांसपोर्ट नगर योजना के भूखण्ड संख्या ए-2/498 क्षेत्रफल 125 वर्गमीटर के स्थान पर समान

			स्थान पर अन्य रिक्त भूखण्ड विनिमय में समान सड़क पर समान क्षेत्रफल को 125 वर्गमीटर के भूखण्ड दिये जाने बाबत।	क्षेत्रफल व समान सडक पर योजना में उपलब्ध केवल एक भूखण्ड संख्या बी–1/439 दिये जाने का निर्णय लिया गया था। किन्तु उक्त भूखण्ड श्री आबिद हुसैन को पूर्व में ही आवंटित है। उपायुक्त द्वारा पुनः कुल 48 भूखण्ड 125 वर्गमीटर के 13.5 मीटर सड़क पर उपलब्ध होना बताकर भूखण्ड संख्या ए–2/498 का विनिमय करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या ए–2/498 के स्थान पर समान माप व समान चौडाई की सडक पर स्थित कुल 48 रिक्त नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
11.	1	128:11	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को डाटा सेन्टर हेतु झालाना संस्थानिक क्षेत्र में भूमि आवंटन करने बाबत।	तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा डाटा सेन्टर की स्थापना हेतु झालाना संस्थानिक क्षेत्र में 12000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन चाहने हेतु आवेदन किया गया है। उपायुक्त जोन–1 द्वारा डाटा सेन्टर हेतु झालाना संस्थानिक क्षेत्र में राजस्थान इन्टरनेशनल कन्वेशन योजना का भूखण्ड संख्या पार्ट ए क्षेत्रफल 9198.39 वर्गमीटर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार मौके पर उक्त भूखण्ड में ESTI विभाग के पुराने तीन भवन निर्मित है, जिनमें से मुख्य भवन ESTI विभाग के ट्रेनिंग हेतु हॉस्टल व गेस्ट हॉउस के उपयोग में लिया जा रहा है। इस संबंध में सूचना प्रौ. और संचार विभाग के सचिव व आयुक्त श्री अखिल अरोडा जी से वार्ता हुई। जिन्होंने सहमति जताई कि इस भूखण्ड से संबंधित ESTI के जो भी विषय होंगे उनका DOIT अपने स्तर पर निस्तारण कर लेगा। समिति द्वारा विचार विमर्श कर DOIT&C को डाटा सेन्टर हेतु उक्त भूखण्ड संख्या पार्ट ए क्षेत्रफल 9198.39 वर्गमीटर भूमि (जैसा है जिस स्थिति में है) योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
12.	7	128:12	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर क्षेत्र–II, जयपुर को ग्राम केशोपुरा में पेयजल योजना हेतु अतिरिक्त भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर क्षेत्र–II, जयपुर को ग्राम केशोपुरा के खसरा नं. 61, जविप्रा की भूमि में से 1000 वर्गमीटर (अतिरिक्त) भूमि पेयजल योजना हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 28.06.16 के अनुसरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्राम केशोपुरा के खसरा नं. 61 में से 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
13.	7	128:13	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर क्षेत्र–II, जयपुर को कमला नेहरू नगर, ग्राम धावास में पेयजल योजना हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर क्षेत्र–II, जयपुर को कमला नेहरू नगर, ग्राम धावास के सुविधा क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प. 3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 28.06.16 के अनुसरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को कमला नेहरू नगर, ग्राम धावास के सुविधा क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
14.	7	128:14	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन	उपायुक्त जोन–7 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन

(एल.पी.सी.)

			स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर क्षेत्र–II, जयपुर को नियर कनक वृन्दावन योजना (सिवाय चक भूमि नियर जी. एस.एस.) में पेयजल योजना हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर क्षेत्र–II, जयपुर को नियर कनक वृन्दावन योजना (सिवाय चक भूमि नियर जी. एस.एस.) के सुविधा क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर भूमि पेयजल योजना हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर, दिनांक 28.06.16 के अनुसरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को कनक वृन्दावन योजना के सुविधा क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
15.	13	128:15	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, राजस्थान पुलिस, जयपुर को पुलिस थाना दौलतपुरा हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, राजस्थान पुलिस, जयपुर द्वारा पुलिस थाना दौलतपुरा हेतु भूमि आवंटन करने का आवेदन किया गया है। उपायुक्त जोन–13 द्वारा पुलिस थाना दौलतपुरा हेतु राजस्व ग्राम दौलतपुरा कोटड़ा तहसील आमेर के खसरा नं. 1340/2 रकबा 2.30 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार मास्टर विकास योजना–2011 में भूमि का भू–उपयोग ईकॉलोजिकल क्षेत्र दर्शित है एवं मास्टर विकास योजना–2025 में भूमि का भू–उपयोग एक्सप्रेस हाईव के पश्चिम दिशा में औद्योगिक तथा पूर्व दिशा में यू–2 (एचआईजेड) क्षेत्र दर्शित है। परन्तु मा. वि. योजना–2011 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग ईकॉलोजिकल जिसमें मा.वि.यो.–2025 वॉल्यूम–4 के अनुसार इकॉलोजिकल एरिया में पुलिस पोस्ट अनुज्ञेय है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा पुलिस थाने हेतु आवंटन चाहा गया है व ईकॉलोजिकल एरिया में पुलिस पोस्ट अनुज्ञेय होने के कारण प्रकरण में ग्राम दौलतपुरा के खसरा नं. 1340/2 में से 5000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।
16.	13	128:16	अति. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), राजस्थान पुलिस, जयपुर को थाना यातायात दुर्घटना (उत्तर) हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	अति. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), राजस्थान पुलिस, जयपुर द्वारा थाना यातायात दुर्घटना (उत्तर) हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन करने का आवेदन किया गया है। उपायुक्त जोन–13 द्वारा थाना यातायात दुर्घटना (उत्तर) हेतु राजस्व ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 99 रकबा 16.65 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 10000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार मास्टर विकास योजना–2011 में भूमि का भू–उपयोग ईकॉलोजिकल क्षेत्र दर्शित है एवं मास्टर विकास योजना 2025 में भूमि का भू–उपयोग एक्सप्रेस हाईव के पश्चिम दिशा में औद्योगिक तथा पूर्व दिशा में यू–2 (एचआईजेड) क्षेत्र दर्शित है। परन्तु मा. वि. योजना–2011 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग ईकॉलोजिकल जिसमें मा.वि.यो.–2025 वॉल्यूम–4 के अनुसार इकॉलोजिकल एरिया में पुलिस पोस्ट अनुज्ञेय है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा थाना यातायात दुर्घटना (उत्तर) हेतु आवंटन चाहा गया है व ईकॉलोजिकल एरिया में पुलिस पोस्ट अनुज्ञेय होने के कारण प्रकरण में ग्राम नटाटा के खसरा नं. 99 में से 10000 वर्गमीटर भूमि थाना यातायात दुर्घटना (उत्तर), गाड़ियों के डम्प यार्ड, मालखाना आदि के लिए

				कृषि भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।
17.	6	128:17	नवसृजित राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मुरलीपुरा (जयपुर शहर) को पूर्व में आवंटित भूमि के क्षेत्रफल में संशोधन करने बाबत।	एलपीसी की 112वीं बैठक दिनांक 02.12.14 में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मुरलीपुरा (जयपुर शहर) को प्रताप नगर विस्तार के सुविधा क्षेत्र में उपलब्ध 896.07 व. मी. भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उक्त भूमि निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है। प्रकरण में पट्टा जारी करने से पूर्व मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 901.30 वर्गमीटर होना पाया गया है। अतः उपायुक्त ने पूर्व में एलपीसी के निर्णय में 896.07 वर्गमीटर के स्थान पर संशोधन कर 901.30 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर मौके पर अधिक बढ़ रही 5.23 वर्गमीटर भूमि कुल 901.30 वर्गमीटर भूमि आवंटन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है। प्रकरण में राज्य सरकार से निःशुल्क आवंटन की संशोधित स्वीकृति प्राप्त की जावे।
18.	4	128:18	मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ग्राम ढोल का बाढ में 41500 वर्गमीटर भूमि आरक्षण करने बाबत।	एलपीसी की 125वीं बैठक दिनांक 29.06.16 में मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ग्राम ढोल का बाढ के खसरा नं. 60 मि0, 70 मि0, 71 मि0, 72 मि0, 77 मि0 व 91 से 96 की 22500 वर्गमीटर भूमि में से 7500 वर्गमीटर भूमि एस.टी.पी. हेतु सेट अपार्ट करने का निर्णय लिया तथा 3000 वर्गमीटर भूमि बैचिंग प्लांट, 5000 वर्गमीटर भूमि लैबर कैम्प, 4000 वर्गमीटर भूमि स्टोर कैम्प, 1500 वर्गमीटर भूमि लैब, 1000 वर्गमीटर भूमि ऑफिस हेतु फर्म को क्षेत्र की प्रचलित डी. एल.सी. दर के 10 प्रतिशत राशि वार्षिक किराये पर लीज/प्रोजेक्ट अवधि के लिए दिये जाने का निर्णय लिया गया था। अब वर्तमान में मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा ग्राम ढोल का बाढ के खसरा नं. 58 मि0, 60, 61 मि0, 62 मि0, 63, 64 मि0, 66 मि0, 67, 68, 70, 71, 72 मि0, 73 मि0, 74 मि0, 77 मि0, 89 से 93, 96 मि0 क्षेत्रफल 44500 वर्गमीटर में से 3000 वर्गमीटर भूमि बैचिंग प्लांट के लिए तथा शेष 41500 वर्गमीटर भूमि एस.टी.पी. हेतु मांग की गई है। उपायुक्त जोन–4 द्वारा उक्तानुसार आरक्षण करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर द्रव्यवती नदी के विकास हेतु उक्त भूमि की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये पूर्व निर्णय में संशोधन करते हुये ग्राम ढोल का बाढ में 44500 वर्गमीटर भूमि में से 41500 वर्गमीटर भूमि एस.टी.पी. हेतु आरक्षित करने व 3000 वर्गमीटर भूमि किराये पर पूर्व निर्णय में अंकित शर्तों पर दिये जाने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

19.	4	128:18(1)	श्री कल्याण जैम एक्सपोर्टस् लि. को ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 164, 165, 184, 185, 186 एवं 186/685 में स्थित 165.62 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि को पूर्व में जविप्रा द्वारा जारी आवासीय पुनर्गठित लीजडीड	श्री कल्याण जैम एक्सपोर्टस् लि. को ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 184, 186/685 में क्षेत्रफल 3568. 58 वर्गमीटर, खसरा नं. 164, 165, 185, 186 में से 1584 वर्गमीटर व गंगाधर नगर के भूखण्ड सं. 9 से 15 की लीजडीड जारी की गई है। इसके पश्चात् आवेदक को कुल 6444.06 वर्गमीटर भूमि का पुनर्गठित पट्टा दिनांक 11.07.16 को जारी किया गया है। मौके पर खसरा नं. 165 व 165/684 में 165.62 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि उपलब्ध

(एल.पी.सी.)
ना.उ० आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			दिनांक 11.07.16 में सम्मिलित कर संशोधित आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में।	है। उपायुक्त द्वारा अतिरिक्त भूमि 165.62 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा बढ़े हुये क्षेत्रफल का पृथक भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता, संबंधी टिप्पणी भी अंकित की है। जिसकी मांग की जा रही है, वह किस खसरा नं. का भाग है व किसके स्वामित्व में है व सुविधा क्षेत्र का भाग तो नहीं है, इस संबंध में विस्तृत जांच करने हेतु पत्रावली उपायुक्त को आगामी बैठक में पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाने का निर्णय लिया गया।
20.	4	128:18(2)	मैसर्स रूबी बिल्डकोन प्रा. लि. को ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 164, 165, 185, 186 में स्थित 246.26 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि को पूर्व में जविप्रा द्वारा जारी आवासीय पुनर्गठित लीजडीड दिनांक 08.09.09 में सम्मिलित कर संशोधित आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में।	मैसर्स रूबी बिल्डकोन प्रा. लि. को ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 164, 165, 185, 186 में से 1834.96 वर्गमीटर की लीजडीड दिनांक 08.09.09 को जारी की गई है। मौके पर खसरा नं. 164 व 165/684 में 246.62 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त उपलब्ध है। उपायुक्त द्वारा अतिरिक्त भूमि 246.62 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा बढ़े हुये क्षेत्रफल का पृथक भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता, संबंधी टिप्पणी भी अंकित की है। जिसकी मांग की जा रही है, वह किस खसरा नं. का भाग है व किसके स्वामित्व में है व सुविधा क्षेत्र का भाग तो नहीं है, इस संबंध में विस्तृत जांच करने हेतु पत्रावली उपायुक्त को आगामी बैठक में पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाने का निर्णय लिया गया।
21.	4	128:18(3)	मैसर्स रूबी बिल्डकोन प्रा. लि. को ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 164, 185, 186, 185/684 में स्थित 236.12 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि को पूर्व में जविप्रा द्वारा जारी आवासीय पुनर्गठित लीजडीड दिनांक 13.09.06 में सम्मिलित कर संशोधित आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में।	मैसर्स रूबी बिल्डकोन प्रा. लि. को ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 164, 165, 185, 186 में से 2950.07 वर्गमीटर की लीजडीड दिनांक 13.09.06 को जारी की गई है। मौके पर खसरा नं. 165 व 165/684 में 236.12 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त उपलब्ध है। उपायुक्त द्वारा अतिरिक्त भूमि 236.12 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा बढ़े हुये क्षेत्रफल का पृथक भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता, संबंधी टिप्पणी भी अंकित की है। जिसकी मांग की जा रही है, वह किस खसरा नं. का भाग है व किसके स्वामित्व में है व सुविधा क्षेत्र का भाग तो नहीं है, इस संबंध में विस्तृत जांच करने हेतु पत्रावली उपायुक्त को आगामी बैठक में पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर

10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि / प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 128वीं बैठक दिनांक 28.10.16 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोडा, सचिव	सदस्य
3.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय)	सदस्य
4.	श्री बृजेश किशोर शर्मा, कार्यवाहक निदेशक (वित्त)	सदस्य
5.	श्री खजान सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री बी.डी. जाट, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री विष्णु कुमार गोयल, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
8.	श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
9.	श्री रामनारायण बडगुर्जर, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
10.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–9 व 12	विशेष आमंत्रित
11.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
12.	श्री मातादीन मीणा, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
13.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित